उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-36/2015/1030/26-3-2015-4(41)/2006 टी.सी.

लखनऊः दिनांकः 28 अप्रैल, 2015

कार्यालय ज्ञाप

श्री मनोज कुमार व श्री सोमित कुमार पुत्रगण श्री रामपाल सिंह, निवासीगण मौ0 पट्टी मेहर, 2 सी-129, आवास विकास कालोनी, बडौत जिला-बागपत द्वारा मण्डलीय फोरम, मेरठ के आदेश दिनांक-27.12.2014 के विरूद्व राज्य स्तरीय स्कूटनी कमेटी के समक्ष अपील दिनांक-13.03.2014 योजित की गयी। उक्त अपील में अपीलार्थी द्वारा स्वयं को जाट अन्य पिछडी जाति का बताते हुये मण्डलीय अपीलीय फोरम के उक्त निर्णय दिनांक-27.12.2014 को निरस्त करने की मांग की गयी।

2- अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ संलग्न अभिलेखों के अनुशीलन से यह परिलक्षित होता है कि श्री राम अवतार द्वारा श्री मनोज कुमार व श्री सोमित कुमार पुत्रगण श्री रामपाल सिंह, निवासीगण मौ0 पट्टी मेहर, 2 सी-129, आवास विकास कालोनी, बडौत जिला-बागपत के सम्बन्ध में इस आशय की शिकायत की गयी कि इनके द्वारा गलत तरीके से जाट पिछडी जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करा लिया गया जबकि वह विश्नोई जाति के है। इस सम्बन्ध में शिकायकर्ता द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-2027/2013 एवं अवमानना याचिका संख्या-2876/2014 योजित की गयी। उक्त अवमानना याचिका संख्या-2876/2014 में दिनांक-06.05.2014 को निम्नवत आदेश पारित किया गयाः-

Heard Sri M.P.Singh Gaur, learned counsel for the applicant.

The present contempt application has been filed for punishing the Opposite Party for willful disobedience of the judgment and order dated 17.9.2013 passed by this Court in Writ-C No. 50274 of 2013 (Ram Awtar Singh Vs. State of U.P. and Others). Vide order dated 17.9.2013 this Court has disposed of the aforesaid writ petition.The operative portion of the order dated 17.9.2013 is reproduced here in under :-

For redressal of the grievance petitioner may approach the District Level Committee, who may look into the grievance of the petitioner and take appropriate decision, after giving opportunity of hearing to all concerned, in accordance with law, within shortest possible time. It is made clear that this court has not expressed any opinion on merits as we have not gone into the merits of the petitioner's claim and thus decision of the concerned competent authority will be his independent exercise as may be permissible in law.With the aforesaid directions, this petition stands disposed of. It is stated in paragraph 13 of the affidavit filed in support of this application that copy of the order of this Court was served upon the opposite party through registered post on 3.10.2013, but no decision has yet been taken. Prima facie, a case has been made out for punishing the opposite party for willful disobedience of the judgment and order dated 17.9.2013 passed by this Court in Writ-C No. 50274 of 2013 (Ram Awtar Singh Vs. State of U.P. and Others).

However, no notice is issued to the opposite party at this stage. The opposite party is granted two month? further time to comply with the judgment and order dated 17.9.2013 passed by this Court in Writ-C No. 50274 of 2013 (Ram Awtar Singh Vs. State of U.P. and Others) from the date of receipt of certified copy of this order. In case, the opposite party does not comply with the order, it would be open to the applicant to approach this court again.

With the aforesaid observations, this application is finally disposed of at this stage.

3- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में जनपद स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी, बागपत ने अपने आदेश दिनांक-04.09.2014 द्वारा अपीलार्थी की अपील निरस्त कर दी गयी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- जनपद स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी के उक्त निर्णय दिनांक-04.09.2014 के विरूद्ध श्री मनोज कुमार एवं श्री सोमित कुमार द्वारा मण्डलीय अपीलीय फोरम मेरठ मण्डल के समक्ष अपील दिनांक-26.09.2014 प्रस्तुत की गयी। प्रकरण पर विचार किये जाने हेतु राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी की बैठक दिनांक-16.04.2015 को आहूत करते हुये इसकी सूचना अपीलार्थियों को दी गयी थी। उक्त के क्रम में अपीलार्थी द्वारा निर्धारित तिथि को स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया। स्क्रुटनी कमेटी द्वारा उनके पक्ष को सुना गया। सुनवाई के समय अपीलार्थी द्वारा अपने बचाव में अपने चाचा श्री मुनीराज, श्री सुखवीर व चाचा के लड़के के जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं विश्नोई समाज सेवा समिति, मुरादाबाद द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रति, अधीक्षक, 'सारेगामा' संगीत विद्यालय, मुरादाबाद के निर्गत प्रमाण पत्र दिनांक-04.08.2014 की प्रति, राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृति शोध प्रबन्ध की प्रति, ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत लालापुर, पीपलसाना, मुरादाबाद तथा बागपत तथा मुज्जफरनगर के विभिन्न तहसीलदारों के निर्गत किये गये प्रमाण पत्रों की प्रतियां दिखाते हुये यह कहा गया है कि उनकी जाति विश्नोई नही है, बल्कि उनकी जाति 'जाट' जाति है। वह विश्नोई पंथ के अनुयायी है। अपीलार्थी द्वारा अपने नाम के आगे टाइटिल के रूप में विश्नोई अंकित होने का उल्लेख करते हुये जनसूचना अधिकारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-782-83/1-33/2014-15/सू0अ0/शो0प्र0सं0/लखनऊ, दिनांक-26.02.2015 की प्रति भी उपलब्ध करायी गयी। जिसमें यह उल्लिखित है कि टाइटिल उपनाम लगाने से जाति नही बदलती है।

5- राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी ने बैठक में विचार-विमर्श के दौरान यह पाया कि मण्डलीय अपीलीय फोरम, मेरठ के आदेश दिनांक-27.12.2014 में उल्लिखित है कि अपीलार्थी की अपील दिनांक-26.09.2014 के सन्दर्भ में मण्डलीय अपीलीय फोरम द्वारा जिलाधिकारी, बागपत से आख्या प्राप्त की गयी जिसमें जिलाधिकारी बागपत द्वारा मण्डलीय फोरम, मेरठ मण्डल, मेरठ को अवगत कराया गया कि जाति का निर्धारण उनके पिता की जाति एवं सरकारी अभिलेखों में दर्ज जाति के आधार पर होता है किसी भाट की आख्या अथवा प्रधान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर जाति का निर्धारण नही होता है। मण्डलीय अपीलीय फोरम ने अपने आदेश में यह उल्लिखित किया है कि जिलाधिकारी, बागपत द्वारा यह आख्या प्रेषित की गयी कि अपीलार्थी के दादा श्री नन्दू सिंह की जाति राजस्व अभिलेख 1359 फसली की खतौनी में 'विश्नोई' अंकित है। मण्डलीय, अपीलीय फोरम, मेरठ के आदेश दिनांक-27.12.2014 में यह उल्लिखित है कि श्री मनोज कुमार विश्नोई के शैक्षिक प्रमाण पत्रों में विरोधाभास है, प्रमाण पत्रों पर इनकी अलग-अलग जाति 'विश्नोई जाट' एवं 'जाट विश्नोई' अंकित है, जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद में इनकी जाति 'विश्नोई' अंकित पायी गयी।

6- अतएव राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी प्रकरण में उपलब्ध समस्त तथ्यों एवं अभिलेखों के सम्यक् अनुशीलन से इस निष्कर्ष पर पहुंचती है, कि श्री सोमित कुमार एवं श्री मनोज कुमार, पुत्र श्री रामपाल सिंह, निवासी मो0 पटटी मोहर 2 सी-129 आवास विकास कालोनी, बडौत जनपद-बागपत के सगे सम्बन्धियों को जाट पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है तथा इनके शैक्षिक अभिलेखों में 'विश्नोई जाट' अंकित है। अपीलार्थी द्वारा विश्नोई पंथ के साहित्य एवं अन्य संस्थाओं के उपलब्ध कराये गये साहित्य में विश्नोई पंथ के उल्लिखित इतिहास से यह स्पष्ट होता है, कि विश्नोई कोई जाति नहीं है बल्कि यह एक पंथ है, जिसमें विभिन्न वर्ग/समुदाय के व्यक्ति मानते है। जिस समुदाय/वर्ग का व्यक्ति विश्नोई पंथ स्वीकार करता अथवा मानता है वह विश्नोई कहलाता है। स्क्रूटनी कमेटी ने यह भी पाया कि उ0प्र0 सरकार द्वारा अन्य पिछडे वर्गो के निर्गत सूची में विश्नोई कोई जाति अंकित नही है, और भारत सरकार द्वारा निर्गत अनुसूचित जातियों की सूची में भी विश्नोई कोई जाति अंकित नही है।

7- अतएव अपीलार्थी की मण्डलीय, अपीलीय फोरम, मेरठ द्वारा इस आधार पर निरस्त की गयी अपील कि उनके दादा के नाम राजस्व अभिलेख 1359 फसली में जाति विश्नोई अंकित है, सम्बन्धी मण्डलीय फोरम के उक्त आदेश दिनांक-27.12.2014 जो अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के पत्रांक-1083/दो-186/2012-14, दिनांक-13.01.2015 द्वारा जारी किया गया है, को राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी त्रुटिपूर्ण मानते हुये Set-aside करती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

एम0 पी0 सिंह उपनिदेशक, प्रतिनिधि निदेशक, पिछडा वर्ग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ	केदार नाथ निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ	सुनील कुमार प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग/अध्यक्ष, राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी उ0प्र0 शासन

पृ0संख्या-36/2015/1030 (1)/26-3-2015 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
2. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, बागपत को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त से अवगत होते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
6. श्री मनोज कुमार व श्री सोमित कुमार पुत्रगण श्री रामपाल सिंह, निवासीगण मौ0 पट्टी मेहर, 2 सी-129, आवास विकास कालोनी, बडौत जिला-बागपत।
7. गार्ड फाईल/इन्टरनेट प्रति ।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।